

COURT OF DISTRICT & SESSIONS JUDGE-II, JAMUI
Session Trial Case no.- 264/2016

12.02.2026 वाद के दो अभि० में एक गजाघर महतो की हाजरी है तथा शेष एक अभि० प्रति० है जिसे आज मात्र के लिए स्वीकृत किया जाता है। ए०पी०पी० की हाजरी है। साक्षी अनु० है। वाद पुकारा गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता दाखिल आवेदन दिनांक 06.01.2026 का संचालन करते हैं। उनका कथन है कि इस वाद में उभय पक्षों के बीच समझौता हो गया है। साथ ही उनका कथन है कि साक्षी सं०-01 राकेश कुमार को पुनः जिरह करने हेतु रिकॉल करते हुए उक्त साक्षी को जिरह करने का अनुमति देने का अनुरोध किया गया। अभियोजन एवं सूचक को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। सुना, अभिलेख अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित साक्षी का साक्ष्य पूर्व में दर्ज किया जा चुका है। उक्त साक्षी को पुनः जिरह होना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 6.01.2026 को स्वीकृत किया जाता है।

अभियोजन उक्त साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

वाद दिनांक 18.02.2026 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

D.A.S.J.II